आवश्यक/तत्काल

संख्या:34/2020/1898/12-2-2020-14/2016 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 24 सितम्बर, 2020

विषय: फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या: 1760/12-2-2020-14/2016 दिनांक 26 अगस्त, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि उक्त शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2020 के क्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधियों तथा किसान प्रतिनिधियों के प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें उक्त शासनादेश में पराली प्रबंधन से सम्बन्धित कतिपय संशाधनों की माँग की गई। विशेष रूप से शासनादेश के प्रस्तर 6.6 व 6.7 के व्यवस्थाओं में संशोधन करने की माँग की गई है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि –

1- कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ यथासम्भव सुपर एस.एम.एस. का प्रयोग किया जाये जिससे पराली प्रबंधन कटाई के समय ही हो जाये।

2- सुपर एस0एम0एस0 के विकल्प के रूप में अन्य फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्र जैसे स्ट्रा रीपर, स्ट्रा रेक व बेलर,मल्चर, पैडी स्ट्रा चापर, श्रब मास्टर, रोटरी श्लेसर, रिवर्सिबुल एम0बी0 प्लाऊ का भी प्रयोग कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ किया जा सकता है,जिससे खेत में फसल अवशेष के बण्डल बनाकर अन्य उपयोग में लाया जा सके अथवा काट कर मिट्टी में मिलाया जा सके। कम्बाइन हार्वेस्टर के संचालक की जिम्मेदारी होगी कि कटाई के दौरान उपरोक्त समस्त व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित कराते हुए कटाई का कार्य करेंगे।

3- यदि कोई किसान बिना पराली को हटाए रबी की बुवाई के समय जीरो टिल सीड ड्रिल, हैप्पीसीडर या सुपर सीडर का प्रयोग कर सीधे बुवाई करना चाहता है या फिर डीकम्पोजर का प्रयोग कर पराली का प्रबंधन करना चाहता है तो ऐसे किसानों से अनिवार्य रूप से इस आशय का घोषणा पत्र अवश्य ले लिया जाए कि उसके द्वारा पराली जलायी नहीं जायेगी, अपितु रबी की बुवाई के समय उक्त यंत्रों का प्रयोग किया जायेगा/ डीकम्पोजर का प्रयोग किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उपरोक्त व्यवस्था का अनुपालन कराने का उत्तरदायित्व कम्बाईन संचालक का होगा। कृषक द्वारा घोषणा की शर्तों में दिये गये बाध्यताओं का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध शासनादेशों में दी गई व्यवस्था के अनुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

5- यदि किसी जनपद में उक्त शिथिलता/संशोधन का दुरूपयोग कर पराली जलने की घटनायें प्रकाश में आती है तो संबंधित जिलाधिकारी अधिकृत होंगे कि वह कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ सुपर एस0एम0एस0 लगाए जाने की अनिवार्यता की पूर्व व्यवस्था अपने स्तर पर लागू कर लें।

6- यह सुनिश्चित किया जाए कि फसल अवशेष जलाये जाने की घटनाये प्रकाश में न आने पायें। दोषी पाये जाने वालों के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी की जाए। साथ ही कम्बाईन/हार्वेस्टर के साथ ग्राम स्तर के अधिकारियों की तैनाती की जाये जो उक्त निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करायें।

कृपया पूर्व शासनादेश संख्या: 1760/12-2-2020-14/2016 दिनांक 26 अगस्त, 2020 के प्रस्तर-6 के 6.6 एवं 6.7 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

( डा0 देवेश चतुर्वेदी )
अपर मुख्य सचिव।

संख्या:34/2020/1898(1)/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, आवास एवं शहरी नियोजन, लोक निर्माण, ऊर्जा, पंचायती राज, ग्राम्य विकास, गृह, राजस्व, परिवहन, पशुपालन, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा/ग्रेटर नोएडा/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
5. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त नगर आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

( विद्या शंकर सिंह )
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।